न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 37/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रार्थीगण

01. सदीक पुत्र मुस्ताक
02. बशीर पुत्र मुस्ताक
03. शकूर पुत्र यारू खां
04. मेहरदनीन पुत्र यारू खां
05. समसुदीन पुत्र यारू खां
06. जमालदीन पुत्र यारू खां
07. नेकू खां पुत्र इस्माईल खां
08. सेखू खां पुत्र जुसुब खां
09. सफी मोहम्मद पुत्र जुसुब खां
10. अब्दुल अजीज पुत्र जुसुब खां
11. मोहम्मद कासम पुत्र जुसुब खां
12. फतेह खातु पत्नि जुसुबखां जाति मुसलमान नि. शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर
14. अली खां पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान नि. भाखरिया तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

हकीम खां पुत्र इस्माईल खां के कायम मुकाम

1/1 हनीफ खां पुत्र हकीम खां
1/2 बालम खां पुत्र हकीम खां
1/3 छोटू खां उर्फ अलाबक्स पुत्र हकीम खां
1/4 फाजलदीन पुत्र हकीमखां
1/5 आबू खां पुत्र हकीम खां
1/6 गनी खां पुत्र हकीम खां
1/7 नूरखातुन पत्नी हकीमखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी भाखरिया त0 बाप जिला जोधपुर
1/8 अजमतखातुन पुत्री हकीमखां पत्नी हासम खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी ओढानिया त. पोकरण जिला जैसलमेर
1/9 रमु खातुन पुत्री हकीम खां पत्नी आमदीन खां जाति सिन्धीमुसलमान निवासी बडी ढाणी तहसील बाप
1/10 बिस्मिला पुत्री हकीम खां पत्नी सतार खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी दुदिया रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
1/11 तजीमों खातुन पुत्री हकीम खां पत्नी अजीजखां जाति सिन्धीमुसलमान नि0 सिवान्दी तह0 बाप जिला जोधपुर
1/12 असमाखातुन पुत्री हकीम खां पत्नी हसैन खां जाति सिन्धी मुसलमान नि0 जैतड़ासर त0 बाप जिला जोधपुर

2. साले मोहम्मद पुत्र जुसुब खां जाति मुसलमान निवासी शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर
3. श्रीमान तहसी[illegible]

न्यायालय सहायक जिलाधीश बाप जिला जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/12
3. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

21.12.2022
सहायक कलेक्टर बाप (जोधपुर)

निर्णय

दिनांक :–21/12/2022

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता इस आशय से पेश किया है कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत सहायक कलक्टर कोर्ट, फलोदी में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 52/2005 है। उक्त वाद में वर्णित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1110 रकबा 8–19 बीघा, खसरा नम्बर 1111 रकबा 8–09 बीघा, खसरा नम्बर 1112 रकबा 8–06 बीघा, खसरा नम्बर 1129 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 1130 रकबा 12–08 बीघा, खसरा नम्बर 1131 रकबा 0–19 बीघा, खसरा नम्बर 1132 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 1133 रकबा 5–01 बीघा, खसरा नम्बर 1134 रकबा 0–13 बीघा तथा खसरा नम्बर 1135 रकबा 17–18 बीघा कुल रकबा 68–02 बीघा राजस्व ग्राम शेखासर नया राजस्व ग्राम भाखरिया में और खेत खसरा नम्बर 554 रकबा 69 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 72–07 बीघा राजस्व ग्राम शेखासर तहसील फलोदी में आई हुई है। उक्त वाद का निर्णय सहायक कलक्टर, फलोदी द्वारा दिनांक 18.03.2010 को कर दिया था और प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील न्याय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की जिसके मुकदमा नम्बर 016/2010 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.11.2012 को कर पूर्व निर्णय दिनांक 18.03.2010 को अपास्त कर दिया था लेकिन निर्णय निरस्त होने के बाद अप्रार्थीगण/वादीगण ने सरासर गलत रूप से निरस्त हुवे निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण सं. 1466 मौजा शेखासर व नामान्तरकरण सं. 204, 205 व 206 मौजा भाखरिया दिनांक 26/11/2016 भरे जाकर स्वीकृत हुवे। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 23/11/2012 द्वारा दिनांक 18.03.2010 को सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा किये गये निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन मुकदमा नम्बर 52/2005 के निर्णय दिनांक 18/03/2010 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 23/11/2012 को निरस्त कर दिया था। पटवारी हल्का ने निरस्त हूवे निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण सं. 204, 205 व 206 मौजा भाखरिया तथा नामान्तरकरण सं. 1466 मौजा शेखासर दिनांक 26/11/2016 को सरासर गलत तरीके से भरा जाकर स्वीकृत करवाया गया जो इन्द्राजात आज दिन तक पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अ[illegible] इन्द्राजात का कानूनन कोई महत्व नहीं रहा है लेकिन फिर भी पूर्व निर्णय अनुसार ही [illegible] में दर्ज है। इसलिये उक्त पूर्व निर्णय के नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना [illegible] है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट [illegible] जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/12 की और से

21.12.2022
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठौड़ ने मूल वाद में वकालनामा पेश होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते है।

उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के निर्णय/डिक्री दिनांक 18.03.2010 की पालना में मौजा शेखासर नामान्तरण संख्या 1466 व मौजा भाखरिया के नामान्तरण संख्या 204, 205, 206 दिनांक 26.11.2016 को भरा जाकर स्वीकृत हुवा। उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2012 को अपास्त किये गये है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नामान्तरण संख्या 1466 मौजा शेखासर व नामान्तरण संख्या 204, 205, 206 मौजा भाखरिया जिस निर्णय के आधार पर दर्ज हुआ है। वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 1466 मौजा शेखासर व नामान्तरण संख्या 204, 205, 206 मौजा भाखरिया से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के राजस्व वाद संख्या 52/2005 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 18.03.2010 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस डिक्री की पालना में दर्ज नामान्तरण संख्या 1466 मौजा भाखरिया व नामान्तरण संख्या 204, 205, 206 के अनुसार अंकित प्रतिविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उक्त डिक्री से पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि राजस्व वाद संख्या 52/2005 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 18.03.2010 की पालना में मौजा शेखासर के नामान्तरण संख्या 1466 व मौजा भाखरिया के नामान्तरण संख्या 204, 205, 206 दिनांक 26.11.2016 को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

(... आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी
(जोधपुर)